न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06/2024

बउनवान

1. सूरजमल उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या, निवासी बराना तहसील व जिला बारां
2. संतराज उम्र 43 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या, निवासी बराना तहसील व जिला बारां
3. उर्मिला उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री धनपाल जाति मोग्या, निवासी भीमपुरा कोटा जिला कोटा
4. रूकमणी उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री प्रहलाद पत्नि श्री रामेश्वर जाति मोग्या, निवासी बोरीना तहसील व जिला बारां
5. बादाम उम्र 80 वर्ष बेवा स्व0 श्री प्रहलाद जाति मोग्या, निवासी बराना तहसील व जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1. अमरलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां
2. मैना उम्र 35 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल पत्नि श्री गोलू जाति मोग्या निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3. सबरोज उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति मोग्या निवासी बराना तहसील व जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 190 दिनांक 03.08.1995 ग्राम बराना

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 26.07.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाके ग्राम बराना तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 330, 493, 65, 66, 73 व 74 कुल किता 6 रकबा 2.86 है. मूलतः छीतर पुत्र श्री श्रवण जाति मोग्या व प्रहलाद पुत्र छीतर जाति मोग्या के फोत होने पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है। दोनो पिता पुत्र थे दोनो का इंतकाल एक साथ खोला गया तथा जो सजरा फौती इंतकाल में दर्ज किया गया वह गलत था। क्योंकि प्रहलाद के फौती इंतकाल में 4 पुत्र अमरलाल, सूरजमल, संतराज व सबरोज बता दिये तथा तीन पुत्रियां उर्मिला, रूकमणी व मैना बता दी तथा बेवा बादाम बताते हुए 8 वारिस बताकर प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि अमरलाल आज भी जीवित है तथा मैना उसकी पुत्री व सबरोज उसका पुत्र है इनको प्रहलाद का पुत्र व पुत्रियां बता दिया जो गलत है। इस प्रकार इन दोनो को हटाने के बाद 6 वारिस है तथा प्रत्येक के हिस्से में 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 का नाम निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट कम 1 ता 5 व रेस्पोडेन्ट कम 1 कुल 6 खातेदारान के 1/8 के बजाए 1/6 दर्ज करने के निर्देश रेस्पोडेन्ट कम 4 को दिये जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया रेस्पोडेन्ट मौजूद सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 को प्रहलाद के पुत्र पुत्री बताते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज कर 1/8–1/8 हिस्सा अंकित किया है जबकि रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 रेस्पोडेन्ट कम 1 के पुत्र पुत्री हैं। तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 जीवित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में 1/6–1/6 हिस्से अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमावें तथा अपीलांट कम 1 ता 5 व रेस्पोडेन्ट कम 1 कुल 6 खातेदारान के 1/8 के बजाए 1/6 हिस्सा दर्ज करने के निर्देश रेस्पोडेन्ट कम 4 को दिये जावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांटगण ने अंकित किया है कि उन्हे अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी कभी नहीं दी गई तथा उन्हे इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.02.2024 को हुई। अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा 29 वर्ष पश्चात अपील पेश करने का कोई उचित एवं तथ्यात्मक कारण होना अवगत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट मियाद बाहर होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.30 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested